

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग)
Office of Chief Engineer
(National Highways)
लो०नि०वि०, लखनऊ-226001
UPPWD, Lucknow-226001



96, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow
E-mail: cenh.up@gmail.com
0522-2236046
2237324 (Ext-214)

Letter No.: 1657NH/865N/08

Date: 22.03.2024

To,

Superintending Engineer
National Highway Circle, PWD,
Lucknow/Kanpur/Gorakhpur/Prayagraj/Bareilly

Sub: Debarment of Contractor by UPPWD-Reg.

Ref: 1. Engineer-in-Chief, UPPWD Order no. 2740 M.T./General Section/(Black List/Debar)
/2024, dated 19.03.2024
2. Chief Engineer, Rural Engineering Department, UP Order no. 1958/ ग्रा०अ०वि०/PMGSY-
Debar/FDR 13 14 and 175/2023-24 dated 21.02.2024

Sir,

Please refer to Engineer-in-Chief, UPPWD Office Order letter dated 19.03.2024 regarding the Debarment of Contractors from PWD on the basis of debarment of Contractor in any other Department, as provided in U.P. Government Order issued by Additional Chief Secretary, PWD letter no. 8/2017/836/23-7-17-176(सा०)/06 dated 08.06.2017.

2. Engineer-in-Chief, UPPWD vide letter dated 19.03.2024 has instructed to comply strictly the debarment of Contractor in other Department and as such not to allow the award of Contract/participating in further bidding, enclosing the Debarment of M/s Bharadwaj Unibuild Pvt. Ltd., 305, 3rd Floor, Eldeco Corporate Tower, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow for a period of 02 years by Chief Engineer, Rural Engineering Department, UP vide letter no. 1958/ग्रा०अ०वि०/PMGSY-Debar/FDR 13 14 and 175/2023-24 dated 21.02.2024 for further necessary action and compliance.

3. In view of above, the copy of above Order dated 19.03.2024 along with Debarment Order of M/s Bharadwaj Unibuild Pvt. Ltd. by Rural Engineering Department, UP is being sent for consideration during the Bid Evaluation of further biddings in the National Highway/MoRTH/Centrally Sposored Works.

Encl: As above.

Copy for Information and necessary action: -

1. Chief Engineer (North-II), MoRTH, New Delhi.
2. Chairman, NHAI, G-5,6/ Sector -10 Dwarka, New Delhi.
3. DG, BRO, New Delhi.
4. Special Secretary, PWD Anubhag-12, UP Govt., Lucknow.
5. E-in-C(HOD)/ E-in-C Rural Road/ E-in-C(D/P), UPPWD Lucknow.
6. Chief Engineer-Regional Officer, MoRTH, Lucknow.
7. Executive Director, NHIDCL, New Delhi.
8. Chief Engineer (HQ-2) UPPWD, Lucknow.
9. All Executive Engineer, NH Division, PWD UP.
10. M/s Bharadwaj Unibuild Pvt. Ltd., 305, 3rd Floor, Eldeco Corporate Tower, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

(Parvez Ahmad Khan)
Chief Engineer (NH)
22/3/24

Chief Engineer (NH)
22/3/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ०प्र०
लोक निर्माण विभाग लखनऊ
(सामान्य वर्ग)

पत्रांक:- २७४० एम०टी०/सामान्य वर्ग/(कालीसूची/डिबार)/2024

दिनांक: 19/03/2024

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक, राष्ट्रीय मार्ग,
पी०एम०जी०एस०वाई०, सेतु/वाह्य सहायतित परियोजना/
इण्डो-नेपाल बार्डर, लो०नि०वि०, लखनऊ।

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव, लो०नि० अनु०-7, उ०प्र० शासन लखनऊ के पत्र संख्या-8/2017/836/23-7-17-176 (सा०)/०६ दिनांक 08.06.2017 के बिन्दु संख्या-2 में निर्देश दिये गये हैं कि लोक निर्माण विभाग के मार्ग, सेतु, भवन एवं विद्युत/यांत्रिक सहित कार्यों/निर्माण परियोजनाओं का ठेका किसी भी अपराधी व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका आपराधिक इतिहास हो या जिसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमें दर्ज हों अथवा जो माफिया गतिविधियों, गैंगस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबन्धित रहेगा। जो ठेकेदार पूर्व में लो०नि०वि० अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में ब्लैक लिस्टेड की श्रेणी में आते हैं वे भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

परन्तु संज्ञान में आया है कि उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओं/अधिशासी अभियन्ताओं/कार्य अधीक्षकों को उक्त का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

19.3.24
(विजय सिंह)
मुख्य अभियन्ता(मु०-2),
लो०नि०वि०, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
3. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष प्रहरी समिति/मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो०नि०वि० लखनऊ।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०।
8. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटराइज्ड खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर लोड किये जाने हेतु प्रेषित।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०।

मुख्य अभियन्ता(मु०-2),
लो०नि०वि०, लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश-लखनऊ।
पत्रांक 1958/प्रशासक/पीएमजीएसवाई-डिवार/एफ0सी0आर 13 14 एवं 175/2023-24 दिनांक 21/02/2024

कार्यालय आदेश

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर के एफ0सी0आर गुप-13, गुप-14 एवं गुप-175 के निर्माण कार्य हेतु मेसर्स भरद्वाज यूनिविल्ड प्रा0लि0, 305 तृतीय तल, इन्डिको कारपोरेट टावर विमूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के पक्ष में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-बरती द्वारा कमश अनुबन्ध संख्या-31/SE/ (RED)Basti Circle/2022-23 दिनांक-05.05.2022 जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 09.05.2022 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 08.05.2023, अनुबन्ध संख्या-32/SE/(RED)Basti Circle/2022-23 दिनांक-05.05.2022 जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 08.05.2023, अनुबन्ध संख्या-54/SE/(RED)Basti Circle/2022-23 दिनांक-30.09.2022 जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 06.10.2022 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 05.10.2023 निर्धारित थी। ठेकेदार द्वारा उक्त पैकेजों के मार्ग निर्माण कार्य को निर्धारित माइल स्टोन के अनुसार कराये जाने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग पीआईयू-सिद्धार्थनगर के कमश पत्रांक 539 दिनांक 12.09.2023 पत्रांक 664 दिनांक 10.10.2023, पत्रांक 629 दिनांक 05.10.2023, पत्रांक 814 दिनांक 28.11.2023, पत्रांक 925 दिनांक 08.01.2024, पत्रांक 979 दिनांक 08.02.2024 एवं अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल-बरती के पत्रांक 1065 दिनांक 20.01.2024, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग पीआईयू-सिद्धार्थनगर के पत्रांक 665 दिनांक 10.10.2023, पत्रांक 630 दिनांक 05.10.2023, पत्रांक 540 दिनांक 12.09.2023, पत्रांक 926 दिनांक 08.01.2024, पत्रांक 980 दिनांक 08.02.2024 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-बरती के पत्रांक 1064 दिनांक 20.01.2024 अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग पीआईयू-सिद्धार्थनगर के पत्रांक 541 दिनांक 12.09.2023, पत्रांक 816 दिनांक 28.11.2023, पत्रांक 666 दिनांक 10.10.2023, पत्रांक 631 दिनांक 05.10.2023, पत्रांक 928 दिनांक 08.01.2024, पत्रांक 981 दिनांक 08.02.2024 एवं अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल-बरती के पत्रांक 1063 दिनांक 20.01.2024 द्वारा कार्यो को अनुवधित अवधि में पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी ठेकेदार द्वारा कार्य माइल स्टोन के अनुरूप पूर्ण न कराने एवं कार्य की प्रगति में कोई सुधार न करने को दृष्टिगत रखते हुए अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग पीआईयू-सिद्धार्थनगर की संस्तुति के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-बरती के कमश: कार्यालय पत्रांक 1126 दिनांक 07.02.2024, पत्रांक 1124 दिनांक 07.02.2024 एवं पत्रांक 1125 दिनांक 07.02.2024 द्वारा मेसर्स भरद्वाज यूनिविल्ड प्रा0लि0, 305 तृतीय तल, इन्डिको कारपोरेट टावर विमूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को डिवार किये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन न किये जाने अर्थात् Gcc के पैरा-52 के अन्तर्गत Breach of Contract की श्रेणी में आता है। जिसके कारण अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-बरती के कमश: कार्यालय 1126 दिनांक 07.02.2024, पत्रांक 1124 दिनांक 07.02.2024 तथा पत्रांक 1125 दिनांक 07.02.2024 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में शासनादेश संख्या: 4127/ एम0एम0/23-सा0नि0अनु0-7/दिनांक-02.12.1974 में विहित प्राविधान एवं प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मेसर्स भरद्वाज यूनिविल्ड प्रा0लि0, 305 तृतीय तल, इन्डिको कारपोरेट टावर विमूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को अनुबन्ध की महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लंघन करने के कारण ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य योजना के सभी कार्यो से आगामी 2 वर्षों के लिए पृथक (DEBAR) किया जाता है।

(अनिल कुमार शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र)

पत्रांक एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिनिधि - निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिनिधि - निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मेसर्स भरद्वाज यूनिविल्ड प्रा0लि0, 305 तृतीय तल, इन्डिको कारपोरेट टावर विमूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 2- समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पीआईयू/सामान्य, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश-लखनऊ।
- 5- निर्देशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश-लखनऊ।
- 6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अगिकरण, लखनऊ।
- 7- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश-लखनऊ।
- 8- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन-लखनऊ।
- 9- पञ्जीकरण पटल राहायक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, (पूर्वी क्षेत्र) उ0प्र0-लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र की प्रति संबंधित ठेकेदार को पञ्जीकरण पत्रावली में संक्षिप्त करना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र)

**कायालय प्रमुख अभियंता उ०प्र०
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
(सामान्य वर्ग)**

दिनांक : 28-07-2022

पत्रांक : 5860एम०टी०/सामान्य वर्ग/54एम-81/2015
नवीनीकरण संख्या : 153 मार्ग/श्रेणी (ए) 2018
प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी आईडी : ASLKO0000625N-29895

नवीनीकरण प्रमाण-पत्र

Bhardwaj Unibuild Pvt Ltd, 305, 3rd Floor, Eldeco Corporate Tower, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -2206010 का लोक निर्माण विभाग उ०प्र० में मार्ग कार्य करने हेतु श्रेणी 'ए' की ठेकेदारी में पंजीकरण/नवीनीकरण इस कार्यालय के पत्रांक 14636MT/GEN.SEC./54M-8/2015 दिनांक:20-09-2019 द्वारा दिनांक:30-06-2022 तक के लिए किया गया था।

कम्पनी/निदेशक के नवीनीकरण के आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त उक्त पंजीकरण का नवीनीकरण दिनांक 30-06-2025 तक के लिए किया जाता है। पंजीकरण नियमावली-1982 यथा संशोधित दिनांक:12.09.2002 एवं शासनादेश दिनांक:28.07.2008 के अनुसार औपचारिकताएं पूर्ण हैं।

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का विवरण:-

नाम	पैन नं०	जी० एस टी टिन
Bhardwaj Unibuild Pvt Ltd, 305, 3rd Floor, Eldeco Corporate Tower, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -2206010	AAHCB6880D	09AAHCB6880D22H

कम्पनी के निदेशकों का विवरण:-

नाम	पैन नं०	आधार नं०
RAMENDRA PRATAP SINGH	CBRPS4834C	797937509622
INDRAWATI SINGH	EBMPS1104N	794323730439

यह प्रमाण-पत्र सम्पूर्ण लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० में मान्य होगा तथा इसकी मान्यता दिनांक:30-06-2025 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

मुख्य अभियंता (मुख्यालय-2)
लो०नि०वि० लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियंता, विश्व बैंक, रा०मार्ग, पी०एम० जी०एस०वाई० सेतु, वाह्य सहायतित एवं इंडो नेपाल बॉर्डर, लो०नि०वि० लखनऊ को इस आशय प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ अधीक्षण/अधिशासी एवं कार्य अधिकांश को उपलब्ध कर दें।
- Bhardwaj Unibuild Pvt Ltd, 305, 3rd Floor, Eldeco Corporate Tower, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -2206010 के आवेदन पत्र संख्या-2022E30944225 के क्रम में को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रमाण पत्र कम्पनी/निदेशक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा असत्य पाए जाने पर कम्पनी/निदेशक को पूर्णतः उत्तरदायी मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर कम्पनी/निदेशक कोई दावा मान्य नहीं होगा। यदि कम्पनी/निदेशक द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाये तथा इस पत्र में उल्लिखित पते पर भेजा गया पत्र उन्हें प्राप्त हुआ माना जायेगा।
- कोषाध्यक्ष, कोष वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो०नि०वि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि पंजीकरण/नवीनीकरण के सापेक्ष जमा की गयी जमानती धनराशि रु०-5,00,000/- (रु० पांच लाख मात्र) के रा०ब० पत्र मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र, लो०नि०वि० गोरखपुर के पक्ष में बंधक व उनके कार्यालय में मूल में जमा है।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सामान्य)
लो०नि०वि०, लखनऊ